

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**. 123] No. 123] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/PAUSA 25, 1937

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

का.आ. 139(अ).—िनम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पिठत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

# प्रारूप अधिसूचना

पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के कूर्ग जिले के उत्तरी तरफ उत्तरी अक्षांश 12°25' से 12°40' तथा 75°39' से 75°45' पूर्वी देशांतर के बीच में 102.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी घाट के भाग की विशेषताओं में अभयारण्य क्षेत्र की अत्यधिक खड़ीढाल 35 प्रतिशत से अधिक और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र 85 प्रतिशत से अधिक है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र 6000 मी.मी. से 7000 मी.मी. के बीच, प्रचुर जैव विविधता, स्थानिक का उच्च दर और अति संकटापन्न और संकटापन्न प्रजातियाँ जैसे-मालाबर मुसंग और

235 GI/2016 (1)

लघुपुच्छ वानर, तवांगु और नीलिगिरि चितराला जंगली कुत्ता, एशियाई हाथी, ऊदिबलाव क्रमशः का केंद्र शामिल है। विभिन्न रिज़र्व वनों जैसे बीसले, कीरिबगहा, सुब्रामानया और कदमाकल के चारों ओर, अभयारण्य में बृहत् स्तनीवर्ग एशियाई हाथी और बाघ के लिए विस्तारित आवास प्रबंध करते है और हाथी परियोजना के अंतर्गत मैसूर हाथी रिज़र्व के भाग के घोषित किया गया और यह कर्नाटक में नगराहोले राष्ट्रीय उद्यान और भाद्रा व्याघ्र रिज़र्व के बीच बृहत् स्तनीयों के लिए महत्वपूर्ण गिलयारा है।

और, पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में अत्याधिक प्रचुर प्राणिजात और वनस्पतिय विविधता है, अभयारण्य में शोला घासस्थल के साथ अधिकांश सदाबहार वन विकीर्ण है। [चैम्पियन और सेथ वर्गीकरण की आई ए/सी3, 2ए/सी2, 1ए/सी₃, 8ए(सी1/डी एस1)] जहाँ, वनस्पति के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसे-डीपटेरोकरपस इंडिकस, अन्टिअरीस टोक्सीकारिया, किंगीओडेनडोन पीन्नाटम, डियोस्परोस इबेनम, अलस्टोनिया स्कोलरिस, बीकोफिया जावनिका, स्लोफइलम अपेटलम्, सीन्नामोमुम् जेयलानीकम्, डलबेरगिया लटीफोलिया, लागेरस्टोइमिया लानकियोलाटा, पीटरोकरपस् मरस्पम्, बटेरिया इंडिका, इलइयोकरपस स्पा, कनेमा अट्टेनुअटे, माइरस्टिका स्पा, पालाकूयमम इल्लीपटीकम, गरसीनिया स्पा, मकहीलस मकरानाथा, मेसुआफेररा, होपिया, परवीफ्लोरा, जयझोएक्सलम मालाबरिकम, कान्नारम स्ट्रिकटम, एक्सनथोजयलम टेट्रास्पर्मम, कालोफइलम अपेटुलम, अरेंगा विहटी, कोस्सीनियम फेनुस्ट्राटम, हयडनोकरपस पेंटनड्रा, मोउल्लावा स्पीकाटा, मापिया फोइटीडा, गनेटम उला, आदि है । अभयारण्य में बृहत् स्तनीयों की प्रजातियाँ पाई जाती है जिसमें व्यार्घ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, हाथी, गौर, साँभर और मुंजक आदि सम्मिलित है, अन्य छोटे स्तनी भी सम्मिलित हैं-नीलगिरि लंगूर, नीलगिरि मार्टेन, ऊदबिलाव, भूरा मुसंग, तेंदुआ बिल्ली, तवांगु, तरावनकोर उड़ने वाली गिलहरी और अन्य; अन्य वन्यजीव भी सम्मिलित हैं-किंगकोबरा, भारतीय अजगर । अभयारण्य के पश्चिमी घाट में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में पश्चिमी घाट की 16 में से 13 स्थानिक पक्षी पाए जाते है; अभयारण्य में सुंदर स्थानिक शरण और संकटापन्न भी है-मटरकुलिया, मालाबर पट्टित मोर, पैरिस मोर, मालाबर काला कौआ और मालाबर पट्टित अबाबीलपुछी तितली और मुख्य पक्षी सम्मिलित है- मालाबर पाइड धनेश, मालाबर ग्रे धनेश, मालाबर टरोगन, मालाबर चिलबिल, वयांनद चिलबिल, श्वेत बेलीड वृक्ष-पाइ, पहाड़ी मयना और अन्य।

यह संरक्षित क्षेत्र कुमाराधरा नदी का आवाह क्षेत्र है, जो पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य से प्रारंभ होती है और यह अभयारण्य बारहमासी धाराओं और कुमाराधरा नदी की सहायक नदियों जैसे लिंगादाहोले, पारकेहोले, मरीगुंडीहोले, उपांगलाहोले, पड़क्काहोले और कदामाकालहोले के लिए आवाह क्षेत्र का कार्य करता है, जो पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं को उपदर्शित करता है और अभयारण्य के भीतर कोई ग्राम नहीं है किंतु अभयारण्य की सीमाओं के भीतर चार संवेष्टन हैं (जिसके अंतर्गत दो रबड़ एस्टेट हैं);

और, पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पिठत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2), के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पिठत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर से 2.3 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरे निम्नलिखित है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 170.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसका विस्तार पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 100 मीटर से 8.50 किलोमीटर है। और इस जोन की सीमा वर्णन को **उपाबंध-I** पर दिए गए हैं।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 7 ग्रामों की सूची उनके मुख्य समन्वयक बिन्दुओं सहित **उपाबंध-**II पर उपाबद्ध की गई है ।
- (3) अक्षांश और देशांतर तथा सीमा विवरण के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध-**Ш के रूप में उपाबद्ध है।

- (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ साथ अभयारण्य की सीमा के प्रमुख बिन्दुओ (जीपीएस) को **उपाबंध-I**V के रूप में उपाबद्ध है ।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय लोगों से आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार तैयार की जाएगी।
  - (2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों यदि कोई हो के अनुसार तैयार की जाएगी।
- (4) आचंलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात् :—
  - (i) पर्यावरण ;
  - (ii) वन ;
  - (iii) नगरी विकास ;
  - (iv) पर्यटन ;
  - (v) नगरपालिका;
  - (vi) राजस्व ;
  - (vii) कृषि;
  - (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
  - (ix) सिंचाई ; और
  - (x) लोक निर्माण विभाग
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टं न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थिितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (6) आंचिलक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 12, 18, 24, 29 और 32 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) वर्षा जल संचय, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक स्रोत आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।
  - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
    - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
    - (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) मानव-निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) वायु प्रदूषण पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) बहिस्राव का निस्सारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
  - (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
    - (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपिशष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
    - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
    - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा:
    - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय यातायात परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम

प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

- (12) औद्योगिक इकाईयां (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
		प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है।
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435
		गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी :

_		परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा: परंतु यह भी कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों की समाप्ति अवधि पर उनका नवीकरण नहीं किया जाएगा।
(10)	फर्मों, निगमों, कम्पनियों द्वारा बृहत पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
		विनियमित क्रियाकलाप
(11)	प्लास्टिक के बैगों, लैमिनेटस और टैट्रा पैकों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित । प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटस और टैट्रा पैकों के निपटान को कठोरता से विनियमित और मानीटर किया जाएगा ।
(12)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के राष्ट्रीय पार्क की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए
		तथापि 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कायर्यकलापों या विद्यमान कार्यकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होंगे।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।
		(ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।
		(ग) एक किलोमिटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
		(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।
(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा।
		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।
		(ग) सतही या भूजल का विव्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

(16)	विद्युत केबलों, प्रेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबल डालने का संवर्धन ।
	टावरा का पारानमाण ।	(ii) विद्यमान घरेलू तारें, यदि भूमि से ऊपर हैं तो उनकों < 20 ढाल पर 20 फीट की ऊंचाई पर और > 30 ढाल पर जमीन से 30 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए।
		(iii) 11 केवी तक घरेलू प्रयोजन के लिए भविष्य में विद्युत तारों को जमीन के नीचे बिछाया जाएगा।
		(iv) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु को भूमि से सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए।
(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अक्रमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
(25)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात :-

(i)	प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर	—अध्यक्ष
(ii)	माननीय सदस्य, विधान सभा, मदीकेरी निर्वाचन क्षेत्र, कोदागु जिला	—सदस्य
(iii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	—सदस्य
(iv)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	—सदस्य
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत	—सदस्य
	विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए	
	कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	
(vi)	प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर	—सदस्य
(vii)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए	
	पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	
(viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, कोदागु जिला, मदीकेरी	—सदस्य
(ix)	उप वन संरक्षक, मदीकेरी वन्यजीव प्रभाग, मदीकेरी	—सदस्य-सचिव

\* (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करेगी)।

### 6. निर्देश निबंधन.-

- (1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलत क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/132/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

#### <u>उपाबंध I</u>

# पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर: सीमा रेखा बीसीले राज्य के बिंदु से आरंभ होती है, जहाँ बीसीले राज्य वन की दक्षिण-पश्चिमी सीमा सुब्रामानया रिजर्व वन की उत्तरी सीमा से मिलती है। इसके बाद रेका बीसीले राज्य वन की डी रेखा के साथ उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है यह कुमाराल्ली की सीमा स्थिति जी.पी.एस. निर्देशांक उ: 12.700674 पू: 75.690777 ग्राम में बिंदु क्र. सं. 18 तक पहुँचती है। पूर्व: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा- इसके बाद पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य की डी-रेखा के समांतर 100 मीटर की चौड़ाई में कुमाराल्ली और वन, कोथानाली, सूरलबी, हम्मीचाला, कलूर ग्रामों से होते हुए जाती है, यह गलीबीडु और वन ग्राम में स्थित जी.पी.एस. निर्देशाक उ 12.49213 पू 75.65322 बिंदु (क्र.सं.-26) तक पहुँचती है।

दक्षिण और पश्चिम: इसके बाद रेखा समपजे पर्वतश्रेणी के कदमाकल रिजर्व वन की डी-रेखा से जुड़ती है। इसके बाद यह कदमाकल रिजर्व वन की पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी सीमा के साथ यह जी.पी.एस. अध्ययन के साथ कदमाकल रिजर्व वन की डी रेखा पर बिंदु क्र. सं. 31 तक पहुँचती है। इसके बाद रेखा सुलया तालुक के बालागोड़ ग्राम के राजस्व क्षेत्र से होते हुए पश्चिमी दिशा में जाती है, यह कीरीबग रिजर्व वन की डी रेखा में स्थित जो जी.पी.एस. निर्देशांक उ 12.519797, पू 75.633166 पर बिंदु क्र. सं.- 32 तक पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा कीरीबग रिजर्व वन और सुब्रामानया रिजर्व वन की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा में जाती है, फिर यह आरंभिक बिंदु पहुँचती है।


उपाबंध–II पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र पर आई.डी.सं.	ग्राम का नाम	तालुक का नाम	प्रत्येक ग्राम का विस्तार (हेक्टेयर में)	अक्षांश और देशांतर	टिप्पणी																
1	नगरान्त्री और नग		F4 22	उ 12.682315	100 मीटर																
1	कुमाराल्ली और वन		54.32	पू 75.715596	100 माटर																
2	कोथानाल्ली	सोमावारपेट	20.11	ਤ 12.653716	100 मीटर																
2	कायानाल्ला	सामावारपट	20.11	पू 75.722249	100 माटर																
3	<del></del>		52.90	ਤ 12.618653	400 <del>10 1 1</del>																
3	सुरलाबी		52.89	पू 75.722901	100 मीटर																
4	हम्मीयाला		CF 00	उ 12.573118	100 मीटर																
4	हम्मायाला				1								1						65.28	पू 75.716457	100 माटर
5	**************************************	मादीकेरी	कल्लूर मादीकेरी 90.83	00.93	ਤ 12.503510	100 मीटर															
5	कल्लूर			90.63	पू 75.712580	100 माटर															
6	6 गलीबीडु और वन		42.47	उ 12.476254	100 मीटर																
0	गलाबाडु आर वन		42.47	पू 75.672000	100 माटर																
7	बालागोडु		4.04	ਤ 12.546668	100 मीटर																
7	7 बालागोडु सुलिया	4.01	पू 75.639879	100 माटर																	
	कुल		329.89																		

इस ग्राम में भूमि उपयोग के प्रतिरूप ग्रहण की मुख्यतः सीमाएँ हैं—उद्यानकृषि फसल (सुपारी, नारियल और रबड़), मानव और मवेशी निवास इकाई और राजस्व वन ।

### उपाबंध III

# पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को उपदर्शित करने वाला मानचित्र



उपाबंध IV

# पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य सीमा पर मूल स्थिति (भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली)

मानचित्र पर स्थिति	अक्षांश डिग्री –दशमलव में	देशांतर डिग्री –दशमलव में	
1	12.69668600	75.66774100	
2	12.70019400	75.68991200	
3	12.66841100	75.70321900	
4	12.63909300	75.70368200	
5	12.60982500	75.69687200	
6	12.58894100	75.69482900	
7	12.56232500	75.70100300	
8	12.53678900	75.71095800	
9	12.50889600	75.69126300	
10	12.48812200	75.66803200	
11	12.50410000	75.64270500	
12	12.52656200	75.63409000	
13	12.53969600	75.65283500	
14	12.58094600	75.66360700	
15	12.61595300 75.6542990		
16	12.63361900 75.6430880		
17	12.66355400	75.64851600	

# पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन कि सीमा पर प्रमुख स्थिति (भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली)

मानचित्र पर स्थिति	अक्षांश डिग्री –दशमलव में	देशांतर डिग्री –दशमलव में
18	12.70067400	75.69077700
19	12.65299700	75.70589700
20	12.62751700	75.69977800
21	12.59711200	75.70405600
22	12.57288200	75.70258600
23	12.55344300	75.70141000
24	12.52216600	75.70478600
25	12.49978000	75.69510200
26	12.49213000	75.65322000
27	12.46251500	75.66417900
28	12.44061400	75.64996500
29	12.50065500	75.56497000
30	12.53864800	75.59201600

31	12.51979700	75.63316600
32	12.52399000	75.63244900
33	12.56950300	75.61889900
34	12.60040400	75.61396100
35	12.59764500	75.63455900
36	12.61918000	75.61712700
37	12.63339900	75.63024300
38	12.63659200	75.60819400
39	12.63395100	75.61149100
40	12.62564100	75.59113700
41	12.64134900	75.60198900
42	12.64885800	75.60603700
43 12.64870400		75.58818900
44	12.66160800	75.61234700
45	12.65092300	75.62045800
46	12.68093700	75.61410600
47	12.69176900	75.63272400
48	12.71224200	75.63887500
49	12.73299900	75.65580900
50	12.71035000	75.67394700
51	12.72734800	75.70622000
52	12.69667500	75.72955300

#### उपाबंध V

# पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2016

**S.O.** 139(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at <a href="mailto:esz-mef@nic.in">esz-mef@nic.in</a>

#### **Draft Notification**

**WHEREAS**, the Pushpagiri Wildlife Sanctuary situated in Northern side of Coorg District of Karnataka and lying between North Latitude 12°25' to 12°40' and the East Longitudes 75°39' to 75°45' spread over an area of 102.92 square kilometres was formed by including part of Kadamakal Reserve Forest;

AND WHEREAS, the Pushpagiri Wildlife Sanctuary forming the core of western ghats is characterised by rugged terrain with more than eighty five per cent of the sanctuary area having very steep slope of more than thirty five per cent, high rainfall ranging between 6000 mm to 7000 mm, rich biodiversity, high rate of endemism and home for critically endangered and endangered species like Malabar Civet and Lion Tailed Macaque, Slender Loris and Nilgiri Marten, Wild Dog, Asian Elephant, Clawless Otter respectively is surrounded by many reserve forests like Bisle, Kiribagha, Subramanya and Kadamakal, the Sanctuary provides extended habitat for large mammalia like Asian Elephant and Tiger and forms part of the Mysore Elephant Reserve declared under the Project Elephant and it acts as an important corridor for large mammals to move between Nagarahole National Park and Bhadra Tiger Reserve in Karnataka;

AND WHEREAS, the Pushpagiri Wildlife sanctuary area has a very high Floral and Faunal diversity, the sanctuary largely consists of evergreen forests interspersed with shola grasslands [IA/C<sub>3</sub>, 2A/C<sub>2</sub>, 1A/C<sub>3</sub>, 8A (C1/DS1) of Champion and Seth classification] where the vegetation comprises of very important species like Dipterocarpus indicus, Antiaris toxicaria, Kingiodendron pinnatum, Diospyrous ebenum, Alstonia Bischofia javanica, Calophyllum apetalum, Cinnamomum zeylanicum, Dalbergia latifolia, Lagerstroemia lanceolata, Pterocarpus marsupium, Vateria indica, Elaeocarpus sp., Knema attenuate, Myrstica sp., Palaquium ellipticum, Garcinia sp., Machilus macarantha, Mesua ferrea, Hopea parviflora, Dysoxylum malabaricum, Cannarium strictum, Xanthoxylum tetraspermum, Calophyllum apetulum, Arenga whitii, Cossinium fenustratum, Hydnocarpus pentandra, Moullava spicata, Mapia foetida, Gnetum ula, etc.; large mammals found in the sanctuary include Tiger, Leopard, Wild Dog, Elephant, Gaur, Sambar, and Barking deer; other smaller mammals include Nilgiri langur, Nilgiri Marten, Clawless Otter, Brown Palm Civet, Leopard Cat, Slender Loris, Travancore flying squirrel and others. Other wildlife includes king cobra, Indian rock python; the Sanctuary has been identified as one of the important bird areas in the Western Ghats as 13 of the 16 endemic birds of the Western Ghats are found here; the sanctuary also harbors beautiful endemic and endangered papilionids viz, Malabar banded peacock, Paris peacock, Malabar raven, and Malabar banded swallowtail and major birds including Malabar pied hornbill, Malabar grey hornbill, Malabar trogon, Malabar whistling thrush, Wayanad laughing thrush, White-bellied tree-pie, Hill myna and others;

This protected area is catchment for river Kumaradhara which takes birth within the Pushpagiri Wildlife Sanctuary; and the sanctuary also acts as an important catchment area for perennial streams and tributaries of river Kumaradhara like Lingadahole, Perchehole, Marigundihole, Uppangalahole, Padakkahole and Kadamakalhole which depicts the importance of eco-system services offered by Pushpagiri wildlife sanctuary and there are no villages within the sanctuary but there are four enclosures (including two rubber estates) within the Sanctuary limits.

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the geographical area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pushpagiri Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental aspects, to conserve and protect the biodiversity and wildlife therein and its environment and to prohibit industries or class of industries and their operations and process in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 100 meters and 8.50 kilometres around the boundary of Pushpagiri Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Pushpagiri Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 170.53 square kilometres with an extent varying from 100 meters to 8.50 kilometres from the boundary of Pushpagiri Wildlife Sanctuary and the boundary details of such Zone is given in **Annexure-I**.
  - (2) The list of seven villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**
  - (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-III.
  - (4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-IV**.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:—
  - (i) Environment;
  - (ii) Forest;
  - (iii) Urban Development;
  - (iv) Tourism;
  - (v) Municipal;
  - (vi) Revenue;
  - (vii) Agriculture;
  - (viii) Karnataka State Pollution Control Board;
  - (ix) Irrigation;
  - (x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation

Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Pushpagiri Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in predefined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law.

- (b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

# **TABLE**

S.No.	Activity	Remarks		
(1)	(2)	(3)		
	Prohibited activities			
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.		
		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.		
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.		
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.		
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
5.	Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:  Provided the existing wood-based industry may continue as per law:  Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.		
10.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
	Regu	ulated activities		
11.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.  However, beyond one kilometer and upto the extent of the		

		Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of
		existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:
		<ul> <li>(b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.</li> <li>(c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.</li> </ul>
		(d) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
		(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.
		(b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the
		amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.
		(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.
		(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables, transmission	(i) Promote underground cabling.
	lines and telecommunication towers.	(ii) Existing domestic lines – if over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground.
		(iii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground.
		(iv) For any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at safe distance from the ground.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
	Pror	noted activities
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar, light, etc., to be promoted.

- **5. Monitoring Committee.**—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka, which shall comprise of the following, namely:-
  - (i) Regional Commissioner, Mysore Chairman;
- (ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency, Kodagu District Member;
- (iii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka Member;
- (iv) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka Member;
- (v) Representative of Non-governmental Organization working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka Member;
- (vi) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore Member;
- (vii) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka Member;
- (viii) Deputy Commissioner or his representative, Kodagu District, Madikeri Member;
- (ix) The Deputy Conservator of Forests, Madikeri Wildlife Division, Madikeri Member-Secretary.
- \*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

#### 6. Terms of reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the

Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma appended at **Annexure-V**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/132/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

**ANNEXURE-I** 

#### BOUNDARY DETAILS OF PUSHPAGIRI WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE ZONE

<u>North:</u> The Boundary line starts at a point on the Bisile State Forest, where the South Western boundary of Bisile State Forest meets the Northern boundary of Subramanya Reserve forest. Then the line runs in north eastern direction all along the D-Line of Bisile State Forest till it reaches a point SL.No: 18 in the village boundary of Kumaralli bearing GPS co-ordinates N: 12.700674 E: 75.690777.

<u>East:</u> The Eco-sensitive Zone boundary line then runs at a width of 100m parallel to the D-Line of Pushpagiri Wildlife Sanctuary passing through the villages of Kumaralli and Forest, Kothanalli, Surlabi, Hammiyala, Kaloor till it reaches a point (Sl.No: 26) bearing GPS Co-ordinates N 12.49213 E 75.65322 in the village Galibeedu and Forest.

**South and West:** Then the line joins the D-line of Kadamakal Reserve Forest of Sampaje Range. Then it runs all along the Eastern, Southern, Western boundary of the Kadamakal reserve forest till it reaches a point SL.No: 31 on the 'D' line of Kadamakal Reserve Forest with a GPS reading N 12.519797, E 75.633166. Then the line run in the western direction through revenue areas of Balagodu village of Sulya taluk till it reaches a point SL.No:32 on the D-Line of Kiribag Reserve Forest bearing GPS co-ordinates N 12.52399, E 75.632449. Further, the line runs in Northern direction all along the western boundary of Kiribag reserve forest and Subramanya reserve forest till it reaches the starting point.


ANNEXURE-II
VILLAGES FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF PUSHPAGIRI WILDLIFE SANCTUARY

ID no. on the Map.	Name of village	Name of taluk	Extent of each village in hactors.	Latitude and Longitude	Remarks
1	Kumaralli and Forest		54.32	N 12.682315 E 75.715596	100 meters
2	Kothanalli	Somawarpet	20.11	N 12.653716 E 75.722249	100 meters
3	Surlabi		52.89	N 12.618653 E 75.722901	100 meters
4	Hammiyala		65.28	N 12.573118 E 75.716457	100 meters
5	Kaloor	Madikeri	90.83	N 12.503510 E 75.712580	100 meters
6	Galibeedu and Forest		42.47	N 12.476254 E 75.672000	100 meters
7	Balagodu	Sulia	4.01	N 12.546668 E 75.639879	100 meters
	Total		329.89		

The land use pattern adopted in these village limits are mainly Horticultural (Arecanut, Coconut and rubber) crops, Human and Cattle dwelling unit and revenue forests.

### **ANNEXURE-III**

# MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF PUSHPAGIRI WILDLIFE SANCTUARY



# **ANNEXURE-IV**

# Key locations (Global Positioning System) on the Pushpagiri Wildlife Sanctuary boundary.

Location on the map.	Latitude in degree-decimals	Longitude in degree-decimals
1	12.69668600	75.66774100
2	12.70019400	75.68991200
3	12.66841100	75.70321900
4	12.63909300	75.70368200
5	12.60982500	75.69687200
6	12.58894100	75.69482900
7	12.56232500	75.70100300
8	12.53678900	75.71095800
9	12.50889600	75.69126300
10	12.48812200	75.66803200
11	12.50410000	75.64270500
12	12.52656200	75.63409000
13	12.53969600	75.65283500
14	12.58094600	75.66360700
15	12.61595300	75.65429900
16	12.63361900	75.64308800
17	12.66355400	75.64851600

# Key locations (Global Positioning System) on the Eco Sensitive Zone Boundary

Location on map	Latitude in degree-decimals	Longitude in degree-decimals
18	12.70067400	75.69077700
19	12.65299700	75.70589700
20	12.62751700	75.69977800
21	12.59711200	75.70405600
22	12.57288200	75.70258600
23	12.55344300	75.70141000
24	12.52216600	75.70478600
25	12.49978000	75.69510200
26	12.49213000	75.65322000
27	12.46251500	75.66417900
28	12.44061400	75.64996500
29	12.50065500	75.56497000
30	12.53864800	75.59201600
31	12.51979700	75.63316600
32	12.52399000	75.63244900
33	12.56950300	75.61889900

34	12.60040400	75.61396100
35	12.59764500	75.63455900
36	12.61918000	75.61712700
37	12.63339900	75.63024300
38	12.63659200	75.60819400
39	12.63395100	75.61149100
40	12.62564100	75.59113700
41	12.64134900	75.60198900
42	12.64885800	75.60603700
43	12.64870400	75.58818900
44	12.66160800	75.61234700
45	12.65092300	75.62045800
46	12.68093700	75.61410600
47	12.69176900	75.63272400
48	12.71224200	75.63887500
49	12.73299900	75.65580900
50	12.71035000	75.67394700
51	12.72734800	75.70622000
52	12.69667500	75.72955300

#### **ANNEXURE-V**

### Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
  - [Details may be attached as Annexure]
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006
  - Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
  - [Details may be attached as separate Annexure]
- 7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.